



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 वैशाख 1942 (श0)
(सं0 पटना 282) पटना, मंगलवार, 12 मई 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

11 अक्टूबर 2019

सं० 1118—श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम+पो0+थाना—ढाका, जिला—पूर्वी चम्पारण पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—3223 है।

पर्षदीय पत्रांक—503 से 507 दिनांक—16.05.1995 द्वारा उक्त न्यास की सुव्यवस्था एवं सुचारु प्रबंधन के लिए बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 32 के अधीन श्रीमती मनीक राज देवी की अध्यक्षता में पाँच व्यक्तियों की बनायी गई न्यास समिति की मान्यता अगले आदेश तक प्रदान की गयी। समिति द्वारा 1996 के पश्चात् न्यास के आय—व्यय का विवरण तथा पर्षदीय आदेशो/निर्देशो का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः पर्षदीय पत्रांक—4251 दिनांक—20.03.2001 द्वारा न्यास समिति को स्पष्टीकरण का जवाब दाखिल नहीं करने के अभियोग में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 28 (2) के तहत भंगकर न्यास के सुचारु प्रबंधन हेतु अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना को अस्थाई न्यासधारी नियुक्त किया गया।

पर्षदीय पत्रांक—735 दिनांक—01.07.2017 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना से न्यास की सुचारु संचालन व सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए न्यास समिति के गठन वास्ते 11 हिन्दू सज्जनों के नाम तथा न्यास के वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी माँगी गई।

उक्त पर्षदीय पत्र के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी के पत्रांक—65/2 दिनांक—21.01.2018 द्वारा न्यास के संबंध में एक विस्तृत जाँच प्रतिवेदन के साथ 11 व्यक्तियों का नाम व पता प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन में उल्लेख है कि मंदिर में 05 विगहा 14 कट्टा 10 धुर जमीन है, जो दिनांक—11.10.1947 को निबंधित समर्पणनामा द्वारा श्री रामजानकी ठाकुरवाड़ी शंकर जी महाराज के नाम से दान दिया गया है और सामाजिक सहयोग से मंदिर का रंग रोगन एवं प्रसाद वितरण किया जाता है।

अनुमंडल पदाधिकारी सिकरहना द्वारा न्यास समिति बनाये जाने हेतु 11 व्यक्तियों की सूची को पर्षदीय पत्रांक—1211 दिनांक—01.12.2018 द्वारा थाना प्रभारी को चरित्र सत्यापन के लिए भेजी गयी। चरित्र सत्यापन दिनांक—20.07.2019 को प्राप्त हुआ, जिसमें न्यास समिति गठन हेतु प्रस्तावित व्यक्तियों के विरुद्ध किसी भी शिकायत का उल्लेख नहीं है।

अतः श्री रामजानकी मंदिर, ढाका न्यास पूर्वी चम्पारण के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 32 (1) के तहत एक विस्तृत योजना का निरूपण एवं इसे मूर्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक नवीन न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं०-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री रामजानकी मंदिर, ढाका की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु एक योजना का निरूपण किया जाता है और इसे मूर्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री रामजानकी मंदिर, ढाका न्यास योजना होगा” तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री रामजानकी मंदिर, ढाका न्यास समिति होगी” जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा वार्षिक आय का विवरण बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत्त एवं देय शुल्क राशि पर्वद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।
6. न्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलान, बिक्रय तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा।
7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्वद को प्रेषित की जायेगी।
8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्वद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
10. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्वद में निहित होगा।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकूल कार्य पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान उन्हें सदस्यता से मुक्त किया जा सकता है।
12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्वद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

1.	ई० किशोर पिता स्व० रामचन्द्र प्रसाद चौधरी, ग्राम+पो०+थाना-ढाका रामचन्द्र	—	सचिव
2.	राजमंगल राउत पिता स्व० लक्ष्मण राउत, पटेल नागर ढाका रामचन्द्र	—	सदस्य
3.	भागीरथ प्रसाद साह पिता स्व० लक्ष्मी साह, ढाका, थाना ढाका	—	सदस्य
4.	महाराजा राम पिता स्व० चुल्हई राम, ग्राम-श्याम बखरी, ढाका	—	सदस्य
5.	पं० उमाकान्त तिवारी पिता स्व० रघुनाथ तिवारी, ग्राम-कसवा, पो०-ब०ल०सेन, ढाका	—	सदस्य
6.	शम्भू सिंह स्व० गगनदेव सिंह, बकरीहारी, करसहिया, ढाका	—	सदस्य
7.	सुरेन्द्र झा सुमन पिता स्व० कृष्ण कु० झा, सोरपनिया, पो०-पचपकड़ी	—	सदस्य
8.	बिरेन्द्र पटेल पिता स्व० जलेश्वर राउत, गाँधी चौक ढाका	—	सदस्य
9.	रामाकान्त शर्मा/नन्द किशोर शर्मा, सराठा, ढाका	—	सदस्य
10.	ललन प्रसाद सिंह/रामेश्वर सिंह, मठिया मोहन, ढाका	—	सदस्य
11.	रिंकी देवी/अजित कुमार, मठिया मोहन, ढाका	—	सदस्य

न्यास समिति के सचिव अधिसूचना की तिथि से पन्द्रह दिनों के अन्दर न्यास समिति की प्रथम बैठक बुलाकर अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष का चुनाव कर पर्षद को सूचित करेंगे तथा इस न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना की तिथि से (05) पाँच वर्ष का होगा। एक वर्ष के बाद इसके कार्यों की समीक्षा की जायेगी और संतोषप्रद पाये जाने पर कार्यकाल की निरन्तरता कायम रहेगी।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 282-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>